समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)
पत्रांक ..1358..../आ0प्र0

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज
सभी प्रखण्डों के प्रभारी पदाधिकारी
जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
सभी अंचलाधिकारी
सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी

मधेपुरा, दिनांक...13/05/...2015

विषय : कृषि इनपुट सब्सिडी वितरण कार्य दिनांक 15-05-2015 तक पूर्ण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 08-05-2015 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार द्वारा कृषि इनपुट सब्सिडी वितरण एवं चक्रवातीय तूफान से क्षतिग्रस्त घरों के लिए गृह क्षति हेतु राहत राशि का वितरण कार्य की विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा की गयी तथा निदेश दिया गया कि सभी प्रकार का वितरण हरहाल में एक सप्ताह के अन्दर समाप्त किया जाए।

अतएव अनुरोध है कि माह- मार्च, 2015 में हुई ओलावृष्टि /अतिवृष्टि एवं दिनांक 21-04-2015 को आये चक्रवातीय तूफान से हुई फसल क्षति से प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी का वितरण हरहाल में दिनांक 15-05-2015 तक पूर्ण कर लिया जाए। प्रतिदिन बैंकों को प्रेषित एडभाईस की सूची जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु dm-madhepura.bih@nic.in पर भेजना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही दिनांक 21-04-2015 को आये चक्रवातीय तूफान से प्रभावित परिवारों को राहत राशि मुहैया कराने के संबंध में जितने भी अवशेष सर्वेक्षित परिवार बचे हुए हैं, उन्हें अविलम्ब राहत राशि मुहैया करायी जाए एवं जो भी दावे /आपत्ति आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनका विधिवत् जांच कर नियमानुसार दिनांक 15-05-2015 तक राहत राशि प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

13/5/2015

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

D/Khalid/Gopnia/2015/ Apada/ Letter 30